न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 602 / 2023

अनवान : –

1. अग्रसेन छिम्पा पुत्र बलवीर सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. संजय कुमार पुत्र बलवीर छिम्पा जाति छीपा (छीपी) निवासी फेफाना तहसील नोहर

– **वादीगण**

बनाम्

1. बलवीर पुत्र रिछपाल जाति छीपा (छीपी) निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26|9|23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 77 / 72 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि व 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 148 / 92 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 भूमि व रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 135 / 13 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में से वादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा हैं। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 77 / 72 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है व रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 148 / 92 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 भूमि व रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 135 / 13 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:03 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 5 जेएसएन खाता संख्या 77/72 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2071–74 रोही मौजा 1 केएनएन खाता संख्या 148/92 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2074–2077 रोही मौजा 7 जेएसएन खाता संख्या 135/13 प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 5 जेएसएन प्रदर्श–4, सरंपच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–5 आदि प्रदशिर्त करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में [illegible] जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के [illegible] के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि व 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत के जमाबंदी सम्वत 2071–2074

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:03 IST
Reason: SelfAttested

के खाता संख्या 148/92 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 भूमि व रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 135/13 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 77/72 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 148/92 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 भूमि व रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 135/13 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 602/2023

अनवान : –

1. अग्रसेन छिम्पा पुत्र बलवीर सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. संजय कुमार पुत्र बलवीर छिम्पा जाति छीपा (छीपी) निवासी फेफाना तहसील नोहर

– **वादीगण**

बनाम्

1. बलवीर पुत्र रिछपाल जाति छीपा (छीपी) निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 602 सन 2023 निर्णय दिनांक 26/9/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 77/72 के कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 148/92 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1380 है0 भूमि व रोही मौजा 7 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 135/13 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:03 IST
Reason: SelfAttested